कार्यालय, जिला पंचायत- जशपुर (छ.ग.)
(महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ)

-: आदेश :-

क्रमांक / 1556 / जि.पं. / स्था. / **MGNREGA** / 2018 जशपुर, दिनांक 27/01/2018

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर का पत्र पृ. क्र. 503 / पं.ग्रा.वि.वि. / 22 / 2013 दिनांक 18.02.2013, पत्र पृ. क्र. 807 / पंग्राविवि / वि / 22 / 2011 रायपुर दिनांक 06.04.2011 एवं विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक–621 / वि–7 / लेखा / MGNREGA / 2012 दिनांक 04.04.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा राज्य कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4480 / वि–7 / स्था. / मनरेगा / 2017–18 नया रायपुर, दिनांक 17 / 11 / 2017 के परिपालन मेंमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला जशपुर में **तकनीकी सहायक (संविदा)** के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवारों की संविदा नियुक्ति जिला पंचायत जशपुर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है। इनके पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय रोजगार गारंटी के आकस्मिक मद से किया जावेगा :–

क्र.	नियुक्त उम्मीदवार का नाम	पिता / पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	*2*	*3*	*4*
1	अंकिता नायक	श्री परशु राम नायक	बैगा बस्ती वार्ड क्र0–07, डुगडुगिया, कुनकुरी, जिला– जशपुर (छ.ग.)
2	सुमन नायक	श्री संजय नायक	द्वारा जगत राम नायक, महावीर टॉकीज रोड, मारूती स्टुडियो के पीछे चैतन गली पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)
3	उदिता पटेल	श्री क्षेत्रपाल पटेल	द्वारा क्षेत्रपाल पटेल, बसंत विहार जशपुर नगर, जिला जशपुर(छ.ग.)
4	श्री शुभम भगत	श्री शिवकुमार भगत	प्लॉट क्र 69 / 79, रोहिणी, रायपुर (छ.ग.)492010
5	श्री विनोद कुमार	श्री राजेन्द्र राम भगत	क्वाटर न. एम / 621, विकास नगर पोस्ट–कसमुण्डा, जिला कोरबा (छ.ग.) 495454
6	श्री चन्द्रकांत भगत	श्री जनक राम भगत	वाड क्र.09 मेन रोड लखनपुर, सुमन पेट्रोल पम्प के पास, पो. लखनपुर जिला सरगुजा(छ.ग.)497116
7	ज्योति लकड़ा	श्री इरेनियुस लकड़ा	द्वारा प्रतिमा लकड़ा, सेक्टर 27, ब्लॉक–15 / 403 नया रायपुर, रायपुर(छ.ग.)492002
8	श्री नरेन्द्र कुमार नागेश्री	श्री अशोक कुमार नागेश्री	ब्लॉक कॉलोनी फरसाबहार पो. + तह –फरसाबहार, जिला–जषपुर (छ. ग.)496242
9	श्री तेज कुमार पैंकरा	श्री जयपाल सिंह पैंकरा	क्वाटर न.14 / 32, 32 बंगला, भिलाई,तह–दुर्ग,जिला– जशपुर (छ.ग.)491001
10	श्री समीर कुजूर	श्री निकोलस कुजूर	एम. / 783 आदर्श नगर कुसमुण्डा,कोरबा(छ.ग.)495454
11	ममता कुजूर	श्री लाजरूस कुजूर	ग्राम–करंजटोली, पो.जरिया, तह मनोरा जिला–जशपुर (छ.ग.)496331
12	गरिमा झांप	श्री लक्ष्मण राम झांप	बी –1 श्रीमराम परिसर शांति नगर बिलासपुर (छ.ग.)495001

13	श्वेता प्रधान	श्री अशोक प्रधान	द्वारा अषोक प्रधान वार्ड क्र.12 (कदमपारा) प्रतापपुर (राय भवन के सामने) पोस्ट–प्रतापपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.) 497223
14	स्तुति खलखो	श्री बी.के.खलखो	मकान क्र. 71 श्री जी कचनार, पीयुष कॉलोनी अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)492001
15	अंजली मिंज	श्री इरजिनियुस मिंज	ग्रा दृडुगडुगिया बांसपहरी कुनकुरी जिला–जशपुर(छ.ग.)496225
16	श्री जितेन्द्र साय	श्री शिवप्रसाद साय	एच.12 छ0ग0 विधानसभा आवासीय परिसर विधान नगर जीरो पाइंट रायपुर (छ.ग.)

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

शर्तें :–

1. संविदा पर 23010 रूपये एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
2. संविदा नियुक्ति अधिकतम 03 वर्ष की होगी। जो कि शासन के नवीनतम नियमों के अधीन होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्जि दोनो पक्षों की सहमति की दशा में पुनः एक वर्ष वृद्धि हेतु विचारणीय होगा।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अनुसार प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अधीन शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं का स्वास्थ्यप्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाएवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्रमें प्रतिकूल टीप होने पर नियुक्ति निरस्त की जायेगी।
8. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
10. अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित को तत्काल से पद से पृथक कर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।
11. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत समस्त कार्यों का निरीक्षण एवं निष्पादन का सम्पूर्ण जिम्मेदारी से किया जावेगा।
12. यह नियुक्ति छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ–9–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 17.01.13 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
13. चयन एवं आदेश में कार्यालयीन लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जाना संभव होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./ 1556/A /जि.पं./स्था./**MGNREGA**/2018 जशपुर, दिनांक 27/01/2018

प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3 आयुक्त, रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन सिविल लाईन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4 कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला–जशपुर को सूचनार्थ।
5 पुलिस अधीक्षक, जिला–जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–समस्त जशपुर की ओर सूचनार्थ।
8 संबंधित उम्मीदवार। आप कृप्या दिनांक 12/02/2018 तक अपने उपस्थिति रिपोर्ट मय समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अंकसूचियों तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के साथ जिला पंचायत–जशपुर (मनरेगा प्रकोष्ठ) में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त माना जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)